गोपनीय

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

प्रश्नपत्रों से सम्बन्धित विद्यार्थियों के प्रतिनिवेदन (representation) संस्थान द्वारा मण्डल में भिजवाने के संबंध में दिशा निर्देश।

1. विद्यार्थियों से प्राप्त परीक्षा प्रश्नपत्रों के बारे में प्रतिनिवेदन प्रश्नपत्र की परीक्षा तिथि से 7 दिन के अन्दर अन्दर आवश्यक रूप से मंडल को पहुँच जाने चाहिये। देरी से प्राप्त अथवा विद्यार्थियों द्वारा सीधे ही भिजवाये गये प्रतिनिवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिनिवेदन, संबंधित विषय के प्रवक्ता / वरिष्ठ प्रवक्ता / संबंधित विभागाध्यक्ष की विस्तृत टिप्पणी के साथ प्राप्त होने पर ही प्रतिनिवेदन पर विचार किया जायेगा अन्यथा प्रतिनिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3. विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिनिवेदन अध्यापकों द्वारा अग्रेषित करने के पहले निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय –

   (अ) किसी भी विषय के प्रश्नपत्र में उस विषय के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किये जा सकते है।

   (ब) किसी भी विषय के पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाईयों की विषयवस्तु से संबंधित सरल संख्यात्मक प्रश्न भी प्रश्नपत्र में सम्मिलित किये जा सकते है, भले ही इसका उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं किया गया हो।

4. विद्यार्थियों से प्रश्नपत्र के बारे में प्रतिनिवेदन, प्रश्नपत्र की परीक्षा तिथि से तीन दिन की अवधि के अंदर ही संस्थान द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

5. पाठ्यक्रम के बाहर से आये प्रश्नों के संबंध में संबंधित विषय के प्रवक्ता / वरिष्ठ प्रवक्ता / संबंधित विभागाध्यक्ष उपरोक्त बिन्दु संख्या 3(अ) एवं (ब) को ध्यान में रखते हुए ही टिप्पणी देंगें कि कौन–कौन से प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों से प्रतिनिवदेन प्राप्त होते ही इसकी सूचना टेलीफोन एवं ई—मेल से अतिशीघ्र मण्डल को देवें साथ ही उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर प्रश्नपत्रों के प्रतिनिवेदनों के निष्पादन को सुचारू रूप से संपादित कराने में सहयोग प्रदान करें।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

28 01 2013